

भारत सरकार  
Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
Department of Atomic Energy  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
Directorate of Construction, Services & Estate Management  
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा. भवन V.S. Bhavan,  
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,  
मुंबई Mumbai 400 094.  
दूरभाष Telephone:25487245

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-4303/2025 /1681  
Ref: DCSEM/Enft/e-4303/2025

मार्च March || , 2025

**परिपत्र CIRCULAR**

**विषय:** अणुशक्तिनगर में विभागीय आवासीय निवास में व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के संबंध में।  
**Sub:** **Business / trade activities in residential departmental accommodation in Anushaktinagar – reg.**

उपर्युक्त विषय पर इस निदेशालय के दिनांक 25.10.2024 के परिपत्र का संदर्भ लें।

Reference is invited to this Directorate's circular dated 25.10.2024 on the captioned subject.

2. उपरोक्त परिपत्र के विरुद्ध में अणुशक्तिनगर में कुछ निवासियों के साथ-साथ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर डीएई मुंबई टाउनशिप प्रबंधन समिति में फिर से चर्चा की गई।

In light of the representations received from some residents as well as Residents Welfare Associations in Anushaktinagar against the above circular, the matter was again discussed in the DAE Mumbai Township Management Committee.


3. समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आबंटित फ्लैट में बाहर से निजी ट्यूटर्स या अंदर के ट्यूटर्स को नियुक्त करके आबंटिती के बच्चों के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग के आधार पर कोचिंग कक्षाएं / ट्यूशन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति है। हालाँकि, यदि यह व्यावसायिक आधार पर किया जाता है और सह-निवासियों / पड़ोसियों की शांति को भंग करता है, तो यह व्यावसायिक गतिविधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जैसा कि परिपत्र दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है। इसे पऊवि आबंटन नियम VII(ए) और VII(बी) के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।

As per the decision taken by the committee, coaching classes/tuition classes conducted for the wards of the allottee by engaging private tutors from outside or inside tutors inside the allotted flat is permitted on one-to-one basis. However, if it is conducted on commercial basis and disturbing the peace of co-residents/neighbours, it falls under the definition of business activity which cannot be permitted under DAE Allotment Rule VII(a) and VII(B) as already intimated vide circular dated 25.10.2024.

4. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि एसोसिएशन अपने उपनियमों के तहत अनुमति देती है तो ऐसे ट्यूटर्स को शामिल करते हुए, एसोसिएशन के खाते से भुगतान कर कोचिंग / ट्यूशन कक्षाएं संचालित कर सकती हैं, लेकिन यह केवल उनके सदस्यों तक ही सीमित होगा। हालाँकि, ऐसी कक्षाएं "कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं" के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए।

In addition, it has also been decided that Associations can conduct coaching/tuition classes if permitted under their bye-laws by engaging and paying such tutors from the account of the Association, but limited to their members only. However, such classes should be conducted on "No profit no loss" basis.

5. यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of Director, DCSEM.

  
07-03-2025

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)  
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए।  
Administrative Heads of all DAE units in Mumbai – For circulation among the employees in their unit.

प्रतिलिपि Copy to:

1. अणुशक्तिनगर कोलोनियों के सभी आबंटिती - अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से - प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु।  
All allottees of Anushaktinagar – Through respective Maintenance Units for display/wide publicity.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. महासचिव, आरवा, मारवा, डब्लूएसआरडब्लूए  
General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.